प्रारंभिक परीक्षा

राजनीति को अपराधमुक्त करना

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में दोषी व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इसने इस मामले पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से नए सिरे से जवाब मांगा है।

अयोग्यता पर कानूनी प्रावधान -

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act, 1951)

- **धारा 8(3)**: किसी आपराधिक कृत्य में दोषी ठहराए गए और कम से कम दो साल की सजा पाए व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अयोग्यता रिहाई के बाद छह साल तक रहती है।
- **धारा 8(1)**: जघन्य अपराधों के लिए कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करती है, जिनमें शामिल हैं:
    - बलात्कार
    - नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) अधिनियम के तहत अस्पृश्यता
    - UAPA के तहत गैरकानूनी गतिविधियां
    - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार
    - ये व्यक्ति रिहाई के बाद छह साल तक अयोग्य रहेंगे, भले ही उनकी सजा की अवधि कुछ भी हो।
- **धारा 11**: चुनाव आयोग को किसी दोषी व्यक्ति की अयोग्यता अवधि को हटाने या कम करने की अनुमति देता है।
    - **उदाहरण:** 2019 में, प्रेम सिंह तमांग (सिक्किम के सीएम) की अयोग्यता अवधि छह साल से घटाकर 13 महीने कर दी गई, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के बावजूद उपचुनाव लड़ने में मदद मिली।

राजनीति को अपराधमुक्त करने पर सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले

- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) केस (2002):**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है।
- **लिली थॉमस केस (2013):**
    - **सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को रद्द कर दिया, जो मौजूदा विधायकों या सांसदों को अपील दायर करने पर दोषसिद्धि के बाद भी सदस्य बने रहने की अनुमति देता था।**
    - अब, किसी सांसद या विधायक को दोषसिद्ध होने पर तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019):**
    - राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रकाशित करना होगा।

आपराधिक रिकॉर्ड पर चुनावी डेटा

- **2024 की ADR रिपोर्ट के अनुसार:**
    - **543 सदस्यीय लोकसभा में 251 सांसदों (46%) के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं।**

- 171 सांसदों (31%) पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
- **जीतने की संभावना**: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के जीतने की संभावना 15.4% थी, जबकि बेदाग उम्मीदवारों के जीतने की संभावना केवल 4.4% थी।

स्रोत: **The Hindu - Should convicted persons contest elections?**

भारत का पाम ऑयल आयात 13 साल के निचले स्तर पर पहुंचा

संदर्भ

एक दशक से अधिक समय में पहली बार भारत के कुल खाद्य तेल आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 30% से नीचे आ गई है।

पाम ऑयल क्या है?

- **पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल है जो ताड़ के फल के मेसोकार्प (गूदे) से प्राप्त होता है।**
- इसका व्यापक रूप से खाद्य उत्पादों (खाना पकाने के तेल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ), सौंदर्य प्रसाधन, जैव ईंधन और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।
- **दो मुख्य प्रकार:**
    - क्रूड पाम ऑयल (CPO) - गूदे से निकाला जाता है।
    - पाम कर्नेल ऑयल (PKO) - बीज/ गिरी से निकाला जाता है।
- **पाम ऑयल के पेड़(ताड़ के पेड़) अफ्रीका मूल की वृक्ष प्रजाति हैं लेकिन वर्तमान में इंडोनेशिया और मलेशिया वैश्विक आपूर्ति का 85% से अधिक बनाते हैं।**
- **दुनिया भर में शीर्ष उत्पादक:** (1) इंडोनेशिया (2) मलेशिया (3) थाईलैंड
- **पाम ऑयल के सबसे बड़े आयातक:** (1) भारत (2) चीन
- **भारत में पाम ऑयल उत्पादन:**
    - **वार्षिक उत्पादन:** 0.3-0.4 मिलियन मीट्रिक टन (भारत की मांग का 2% से भी कम)।
    - **पाम ऑयल उत्पादक राज्य:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल।
- **भारत ने ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2021 में पहले ही खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP) शुरू कर दिया है।**

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP)

- **NMEO-OP एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका विशेष ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर है।**
- **उद्देश्य:** भारत में पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **क्षेत्र विस्तार:** 2025-26 तक पाम ऑयल की खेती को 6.5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य, जिससे कुल क्षेत्रफल 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा।
- **उत्पादन लक्ष्य:** कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) का उत्पादन 2025-26 तक 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक बढ़ाना।

स्रोत: **The Hindu - Palm Oil**

औषधि परीक्षण में AI

संदर्भ

हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दवा विकास में AI के उपयोग पर मसौदा दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं।

AI दवा परीक्षण को कैसे बेहतर बनाता है -

- **दवा खोज चरण:**
  - AI हजारों रासायनिक यौगिकों वाले डेटाबेस को स्कैन करता है।
  - यह आगे के परीक्षण के लिए सैकड़ों आशाजनक उम्मीदवारों की पहचान करता है।
- **प्रीक्लिनिकल रिसर्च:** AI डेटा का उपयोग करके मानव दवा प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी करता है कि:
  - शरीर दवाओं को कैसे अवशोषित करता है, वितरित करता है और समाप्त करता है।
  - कमज़ोर आबादी (जैसे, बच्चे) जो परीक्षणों में भाग नहीं ले सकते।
- **विषाक्तता पूर्वानुमान:**
  - AI मॉडल किसी औषधि की रासायनिक संरचना के आधार पर उसकी संभावित विषाक्तता का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे व्यापक पशु परीक्षण की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **तेज़ विकास समय:**
  - AI अधिक कुशलता से आशाजनक उम्मीदवारों की पहचान करके दवा खोज प्रक्रिया को काफी कम कर सकता है।
- **कम लागत:**
  - दवा डिजाइन को अनुकूलित करके और पशु परीक्षण की आवश्यकता को न्यूनतम करके, AI दवा विकास की समग्र लागत को कम कर सकता है।

दवा परीक्षण में AI की चुनौतियाँ

- **डेटा गुणवत्ता** ("**Garbage in, garbage out**")
  - AI मॉडल केवल उनके प्रशिक्षण डेटा जितना ही अच्छे होते हैं।
  - डेटा में पूर्वाग्रह अविश्वसनीय परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं।
- **पारदर्शिता के मुद्दे**
  - कई AI मॉडल "ब्लैक बॉक्स" के रूप में काम करते हैं, जिनमें स्वतंत्र जांच का अभाव होता है।
  - प्रशिक्षण डेटासेट हमेशा मूल्यांकन के लिए सुलभ नहीं होते।
- **गलत भविष्यवाणियों का जोखिम**
  - प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं का गलत जोखिम आकलन जीवन के लिए ख़तरा बन सकता है।
  - एआई मॉडल समय के साथ सटीक रूप से अनुकूलित हों यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है।

स्रोत: **The Hindu - AI in Drug Testing**

आइंस्टीन रिंग(Einstein Ring)

संदर्भ

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के **यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप** ने **पृथ्वी से 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन रिंग की खोज की है।**

आइंस्टीन रिंग क्या है?

- **आइंस्टीन रिंग या आइंस्टीन वलय प्रकाश के एक दुर्लभ वलय है जो गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण बनते है।**
- गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग तब होती है जब एक विशाल आकाशीय वस्तु (एक आकाशगंगा या आकाशगंगाओं का समूह) एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जो उसके पीछे स्थित दूर की वस्तु से आने वाले प्रकाश को मोड़ देता है और बड़ा कर देता है।
- **इसकी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत (1915) द्वारा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि गुरुत्वाकर्षण विशाल वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश को मोड़ सकता है।**
- **प्रथम आइंस्टीन रिंग की खोज 1987 में हुई थी, तथा उसके बाद से और भी वलय पाए गए हैं, किन्तु वे अत्यंत दुर्लभ हैं।**
    - 1% से भी कम आकाशगंगाओं में आइंस्टीन रिंग मौजूद है।
- आइंस्टीन रिंग नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते और इन्हें केवल ESA के यूक्लिड जैसे उन्नत अंतरिक्ष टेलीस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता है।

वैज्ञानिक आइंस्टीन रिंग्स का अध्ययन क्यों करते हैं?

- **डार्क मैटर को समझना:** डार्क मैटर ब्रह्मांड के कुल पदार्थ का 85% हिस्सा बनाता है, लेकिन इसे कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है।
    - गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग आकाशगंगाओं के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने के तरीके का अवलोकन करके अप्रत्यक्ष रूप से डार्क मैटर का पता लगाने में मदद करता है।
- **दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन:** कुछ आकाशगंगाएँ इतनी धुंधली होती हैं कि उन्हें सीधे नहीं देखा जा सकता। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग उनके प्रकाश को बढ़ा देता है, जिससे वैज्ञानिकों को उन आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में मदद मिलती है जो अन्यथा छिपी रहतीं।
- **ब्रह्मांड के विस्तार को मापना:** ब्रह्मांड फैल रहा है, जिससे पृथ्वी और अन्य आकाशगंगाओं के बीच का स्थान बढ़ रहा है।
    - आइंस्टीन रिंग यह डेटा प्रदान करते हैं कि आकाशगंगाएं कितनी तेजी से अलग हो रही हैं, जिससे ब्रह्मांडीय विस्तार के माप को परिष्कृत करने में मदद मिलती है।

स्रोत: [Indian Express - Einstein Ring]

ग्रामीण भारत में मातृ शिक्षा का बढ़ता स्तर

संदर्भ

हाल ही में जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 ने पिछले आठ वर्षों में ग्रामीण भारत में मातृ शिक्षा के स्तर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन पर प्रकाश डाला है।

मातृ शिक्षा स्तर पर ASER 2024 के प्रमुख निष्कर्ष

- **अशिक्षित माताओं की संख्या में गिरावट:**
  - 2016 में, 46.6% माताएँ (5-16 वर्ष की आयु के बच्चों की) कभी स्कूल नहीं गईं।
  - 2024 तक, यह आंकड़ा 17.2 प्रतिशत अंक की गिरावट को दर्शाते हुए 29.4% तक गिर गया।
- **उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली माताओं में वृद्धि**: कक्षा 10 से आगे की पढ़ाई करने वाली माताओं का प्रतिशत आठ वर्षों में दोगुना हो गया है:
  - 2016: 9.2% माताओं ने 10वीं कक्षा से आगे पढ़ाई की।
  - 2024: 19.5%, 10.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्शाता है।

मातृ शिक्षा स्तर में राज्यवार रुझान

- **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य (2024 में कक्षा 10 के बाद पढ़ाई करने वाली माताओं का उच्चतम प्रतिशत)**
  - **केरल**:
    - 2016: 40% माताओं ने 10वीं कक्षा से आगे पढ़ाई की।
    - 2024: 69.6% (भारत में सर्वाधिक)।
  - **हिमाचल प्रदेश**
    - 2016: 30.7% माताओं ने 10वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई की थी।
    - 2024: 52.4%।
- **सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य**
  - **मध्य प्रदेश**
    - 2016: केवल 3.6% माताओं ने 10वीं कक्षा से आगे पढ़ाई की।
    - 2024: बढ़कर 9.7% हो गई, लेकिन भारत में सबसे कम रही।

स्रोत: **Indian Express - Silent Revolution**

समाचार संक्षेप में

2024 के लोकसभा चुनाव व्यय पर एटलस

- भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 2024 के लोकसभा चुनाव व्यय पर एक एटलस जारी किया।
- **2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों ने अपने प्रचार पर औसतन ₹57.23 लाख खर्च किए।**

चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव व्यय सीमा

- **लोकसभा चुनाव:**
  - **बड़े राज्य (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आदि):** प्रति उम्मीदवार ₹95 लाख।
  - **छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश (गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आदि):** प्रति उम्मीदवार 75 लाख रुपये।
- **राज्य विधानसभा चुनाव:**
  - **बड़े राज्य**: प्रति उम्मीदवार ₹40 लाख।
  - **छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश**: प्रति अभ्यर्थी 28 लाख रुपये।
- **वर्तमान में, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के व्यय पर कोई सीमा नहीं है।**

स्रोत: **The Hindu - LS poll expenditure**

भारतीय बाज़ारों में मंदी का कारण क्या है?

विदेशी धन भारतीय बाज़ारों से दूर क्यों जा रहा है?

- **उच्च प्रतिफल के कारण अमेरिकी बॉन्ड की ओर रुझान:**
  - एफआईआई और एफपीआई भारतीय बाजारों से दूर होकर अमेरिकी बॉन्ड की ओर जा रहे हैं, जिन्हें अनिश्चित समय के दौरान सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा जाता है।
- **बाजार की चिंताएं और आर्थिक चुनौतियां:**
  - भारत में आय में मामूली वृद्धि।
  - मध्यम और लघु-पूंजी शेयरों में अधिमूल्यन।
  - मुद्रास्फीति लगातार आरबीआई की निचली सीमा 4% से ऊपर बनी हुई है।
  - वैश्विक व्यापार और टैरिफ पर अनिश्चितता।

बॉन्ड प्रतिफल और शेयर बाज़ारों के बीच संबंध -

- **बॉन्ड प्रतिफल और शेयर बाजारों में विपरीत संबंध है।**
- **बॉन्ड और स्टॉक दोनों निवेश फंड के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं - निवेशक एक को चुनते हैं जिसके आधार पर किसी दिए गए जोखिम स्तर पर अधिक रिटर्न मिलता है।**
- जब अमेरिकी बॉन्ड का प्रतिफल बढ़ता है, तो निवेशक सुरक्षित और अक्सर बेहतर रिटर्न के लिए स्टॉक से बॉन्ड में पैसा स्थानांतरित करते हैं।
- इससे स्टॉक की मांग कम हो जाती है, जिससे स्टॉक की कीमतों में गिरावट आती है।
- एक मजबूत अमेरिकी बॉन्ड बाजार अमेरिकी डॉलर को भी मजबूत करता है, जिससे भारतीय शेयरों जैसे विदेशी निवेश वैश्विक निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाते हैं।
- इसके विपरीत, जब बॉन्ड का प्रतिफल गिरता है, तो निवेशक स्टॉक में वापस चले जाते हैं, जिससे शेयर बाजार का प्रदर्शन बढ़ जाता है।

स्रोत: The Hindu - Downturn in Indian Markets

इगुआना(Iguana)

- **इगुआना बड़ी, शाकाहारी या सर्वाहारी छिपकलियां हैं।**
- **वे ठंडे खून वाले सरीसृप हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।**
- अधिकांश इगुआना आर्बरियल (पेड़ों पर रहने वाले) होते हैं और सुरक्षा के लिए उनके पंजे और पूंछ मजबूत होते हैं।
- वे अपनी पपड़ीदार त्वचा, लंबी पूंछ और ड्यूलैप (ठोड़ी के नीचे की त्वचा का फड़कना) के लिए जाने जाते हैं, जो थर्मोरेग्यूलेशन और संचार में मदद करता है।
- **इगुआना मध्य और दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति हैं।**
- इगुआना भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं लेकिन पालतू जानवर और कैद में मौजूद होते हैं।
- **भारत में देखे गए इगुआना: हरे इगुआना और अमेरिकी हरे इगुआना।**

स्रोत: The Hindu - Iguana

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम

- सत्रह राज्यों ने अब तक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए 57,700 हेक्टेयर बंजर वन भूमि निर्धारित की है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के बारे में -

- **GCP** को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा **अक्टूबर 2023 में लॉन्च** किया गया था।
- **यह एक नवीन बाजार-आधारित तंत्र है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- **ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य:**
    - **वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि:** GCP का उद्देश्य वनरोपण और पुनर्वनरोपण गतिविधियों को प्रोत्साहित करके भारत के वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि करना है।
    - **गतिशील भूमि बैंक की स्थापना:** कार्यक्रम की योजना वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बंजर वन भूमि की एक सूची बनाने की है, जिसे एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
    - **ग्रीन क्रेडिट जारी करना:** अनुमोदित पर्यावरणीय गतिविधियों में संलग्न प्रतिभागियों को ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होता है, जो प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है तथा निर्दिष्ट प्लेटफॉर्म पर इसका व्यापार किया जा सकता है।
        - **भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE)** इस कार्यक्रम का संचालन करती है तथा इन क्रेडिटों के सत्यापन और जारी करने की देखरेख करती है।

स्रोत: The Hindu - GCP

AI डिफ्यूजन फ्रेमवर्क

- **यूएस AI डिफ्यूजन फ्रेमवर्क बाईडेन-हैरिस प्रशासन द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम सप्ताह में शुरू की गई एक नीतिगत पहल है।**
- **इस ढांचे का उद्देश्य है:**
    - AI प्रौद्योगिकी और इसकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखना।
    - चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे विरोधियों के लिए उन्नत AI क्षमताओं तक पहुंच प्रतिबंधित करना।
    - AI चिप्स, चिप बनाने वाले उपकरण और AI मॉडल वजन को विनियमित करके AI नवाचारों के प्रसार को नियंत्रित करना।
    - सुनिश्चित करना कि AI में भविष्य में सफलता केवल अमेरिका या विश्वसनीय सहयोगियों में ही हो

देश वर्गीकरण प्रणाली (पहुँच के तीन स्तर)

- यह ढांचा देशों को तीन स्तरों में विभाजित करता है, जो AI प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच के स्तर को निर्धारित करता है:
- **टियर-1: प्रमुख अमेरिकी सहयोगी (जैसे, यूके, जापान) -** बिना किसी प्रतिबंध के AI प्रौद्योगिकी तक पूर्ण पहुंच।
- **टियर-2: रणनीतिक साझेदार और शेष विश्व (जैसे, भारत, इजराइल) - सीमित पहुंच** , संगणना क्षमता और AI मॉडल पर प्रतिबंध के साथ।
- **टियर-3: अमेरिकी विरोधी (चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ईरान) -** उन्नत AI प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं, सख्त निर्यात नियंत्रण लागू।

स्रोत: **The Hindu- AI diffusion framework**

संत रविदास (1377-1527 ई.)

- **वह एक भक्ति संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनकी शिक्षाओं में समानता, ईश्वर के प्रति समर्पण और जातिगत भेदभाव को अस्वीकार करने पर जोर दिया गया।**
- उनके भक्ति गीतों और छंदों ने भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव डाला।
- उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था।
    - उनकी जन्मस्थली को अब श्री गुरु रविदास जन्मस्थान के नाम से जाना जाता है।
- **उन्हें रैदास, रोहिदास और रूहीदास के नाम से भी जाना जाता है।**
- **वे भक्ति कवि रामानंद के शिष्य थे।**
- उन्होंने **निर्गुण परंपरा का पालन** किया, जो **निराकार भगवान की पूजा** करती है, और **सगुण भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें भौतिक रूप में भगवान की भक्ति शामिल है।**
- **उनके 41 भक्ति गीत और कविताएँ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं।**
- **मीराबाई के साथ जुड़ाव: राजपूत राजकुमारी और भक्ति कवि-संत मीराबाई, संत रविदास को अपना गुरु मानती थीं।** उन्होंने भक्ति और समानता पर उनकी शिक्षाओं की प्रशंसा करते हुए कई भजन लिखे।
- **गुरु रविदास जयंती, माघ महीने की पूर्णिमा तिथि, माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है।**

स्रोत: **The Hindu - Ravidas Jayanti**

संपादकीय सारांश

जेंडर बजट(Gender Budget)

संदर्भ

हाल के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं को शामिल करने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत के लिए एक दृष्टिकोण रखा।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- इस ढांचे में महिलाओं को प्राथमिकता के रूप में शामिल करना, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

महिला सशक्तिकरण के लिए हालिया बजट घोषणाएं

- **जेंडर बजट आवंटन में वृद्धि**
  - **जेंडर बजट:** ₹4.49 लाख करोड़, जो कुल बजट का 8.8% है (दो दशकों में सबसे अधिक)।
  - 49 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में अब जेंडर बजट लागू है।
  - गैर-परंपरागत क्षेत्रों (रेलवे, बंदरगाह, शिपिंग, भूमि संसाधन, फार्मास्यूटिकल्स, आदि) के 12 नए मंत्रालयों ने लैंगिक रूप से-संवेदनशील बजट को एकीकृत किया है।
- **महिला-केंद्रित योजनाओं के लिए बढ़ाया गया वित्त पोषण:** प्रमुख कौशल और आजीविका योजनाओं के लिए 1.24 लाख करोड़ रुपये (इनमें से 52% धनराशि सीधे महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करती है) आवंटित किए गए, जिनमें शामिल हैं:
  - कौशल भारत कार्यक्रम
  - उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)
  - राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)
  - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
  - पीएम विश्वकर्मा
  - कृष्णोन्नति योजना
- **गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए समर्थन**
  - पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से गिग कर्मचारियों का औपचारिकीकरण।
  - सामाजिक सुरक्षा लाभ और वित्तीय समावेशन पहल तक पहुंच।
  - नौकरी की सुरक्षा, मातृत्व लाभ और सामाजिक संरक्षण के लिए श्रम संहिताओं के प्रवर्तन पर जोर।
- **वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन:**
  - इंडिया AI मिशन के तहत 600 करोड़ रुपये का समर्पित जेंडर बजट।
  - डिजिटल साक्षरता और कार्यबल समावेशन को बढ़ाने के लिए शिक्षा के लिए AI पर उत्कृष्टता केंद्र।
  - महिला उद्यमियों के लिए ऋण तक आसान पहुंच, जिसमें संपार्श्विक-मुक्त ऋण भी शामिल है।
  - महिला किसानों को ऋण और क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को भूमि स्वामित्व से अलग करना।

महिला श्रम भागीदारी पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) डेटा

- **भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR):**
  - 2021-22: 33%
  - 2023-24: ~42%
  - वैश्विक औसत (आईएलओ): 47%
  - पुरुष एलएफपीआर के साथ अंतर (79%): 37%।
- **कामकाजी महिलाओं का क्षेत्रीय वितरण:**
  - 90% कामकाजी महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में लगी हुई हैं।
  - महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई: सभी पंजीकृत एमएसएमई में से 20.5% 27 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं।
  - गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था महिलाओं के लिए एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में उभर रही है, लेकिन वेतन, नौकरी सुरक्षा और लाभों में चुनौतियां बनी हुई हैं।

आगे की राह: 2047 तक 70% महिलाओं की आर्थिक भागीदारी का लक्ष्य हासिल करना

- **आर्थिक भूमिकाओं की विविधता:** महिला अधिकारियों को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करके नेतृत्व भूमिकाओं में लिंग अंतर को पाटना।
- **वित्तीय एवं आर्थिक समावेशन:** वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल और संपार्श्विक-मुक्त ऋण के साथ ऋण पहुंच का विस्तार करना।
  - लक्षित प्रोत्साहनों और डिजिटल बाज़ारों के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाले एमएसएमई को प्रोत्साहित करना।
    - 30 मिलियन अतिरिक्त महिला-स्वामित्व वाले व्यवसाय स्थापित करने से 2030 तक 150-170 मिलियन नौकरियां पैदा हो सकती हैं।
  - सरकारी कल्याण और ऋण योजनाओं के लिए लिंग-आधारित ट्रैकिंग शुरू की जाए।
- **सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना**: अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ और बाल देखभाल सहायता का विस्तार करना।
  - गिग और अनौपचारिक क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए ई-श्रम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को मजबूत करना।
  - बेहतर श्रम कानून प्रवर्तन के माध्यम से सुरक्षा और कार्यस्थल अधिकारों को बढ़ाना।
- **नीति एवं मानदंड परिवर्तन:** आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाने से, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड को भूमि स्वामित्व से अलग करना, महिला किसानों को ऋण और ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  - महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने के लिए मानसिकता परिवर्तन अभियान को बढ़ावा देना।

स्रोत: **The Hindu: Budgeting for a gender-inclusive 'Viksit Bharat'**

परमाणु ऊर्जा- उत्तरदायित्व पर खतरनाक रियायत

संदर्भ

- वित्त मंत्री ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन करने की सरकार की मंशा की घोषणा की।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- अमेरिकी सरकार और अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी भारत पर अपने कानून में संशोधन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत को परमाणु रिएक्टर बेचना आसान हो सके।
- अमेरिकी प्रशासन इस बात से नाखुश है कि कानून दुर्घटना की स्थिति में परमाणु निर्माताओं पर कुछ न्यूनतम जिम्मेदारियां डालता है।

कानून को प्रभावित करने वाली घटनाएँ

- **भोपाल गैस आपदा (1984):** दिल्ली ओलियम गैस रिसाव मामले (1986) में सर्वोच्च न्यायालय ने "पूर्ण दायित्व" का निर्णय दिया, जिसके तहत खतरनाक गतिविधियों में लगे उद्यमों को नुकसान के लिए पूर्णतः उत्तरदायी माना गया।
- **फुकुशिमा परमाणु आपदा (2011):** परमाणु दुर्घटनाओं की भयावह आर्थिक क्षमता पर प्रकाश डाला गया। अनुमानित सफाई लागत ¥35 ट्रिलियन से ¥80 ट्रिलियन (₹20 लाख करोड़ से ₹46 लाख करोड़) तक थी। दुर्घटना ने डिज़ाइन की खामियों (मार्क 1 रोकथाम) को भी उजागर किया।
- **थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना (1979):** इसमें पता चला कि रिएक्टर आपूर्तिकर्ता, बैबकॉक एंड विलकॉक्स ने सुरक्षा खतरे की पहचान की थी, लेकिन इसे कम करने के लिए ऑपरेटरों को स्पष्ट निर्देश देने में विफल रहे।

भारतीय कानून का विकास

- **"पूर्ण दायित्व" का कमजोर होना (2010):** सरकार ने परमाणु दुर्घटनाओं के लिए एक विशेष कानून बनाया, जिससे पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को कमजोर कर दिया गया।
    - **दायित्व का चैनलीकरण:** प्राथमिक दायित्व ऑपरेटर (एनपीसीआईएल) को चैनलीकृत किया गया।
    - **देयता सीमा:** ₹1,500 करोड़ तक सीमित।
- **"आश्रय का अधिकार":** यह ऑपरेटर को आपूर्तिकर्ता से क्षतिपूर्ति वसूलने की अनुमति देता है, यदि दुर्घटना "स्पष्ट या अव्यक्त दोष या घटिया सेवाओं वाले उपकरणों की आपूर्ति" के कारण हुई हो।

परमाणु आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति देने के विरुद्ध तर्क

- **जवाबदेही और सुरक्षा मानकों में कमी:** यदि आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दी जाती है, तो उनके पास उच्चतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं होता है।
    - विगत दुर्घटनाएं (फुकुशिमा, थ्री माइल आइलैंड) दर्शाती हैं कि रिएक्टरों में डिजाइन संबंधी खामियां विनाशकारी विफलताओं का कारण बन सकती हैं।
- **प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत का उल्लंघन:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (भोपाल गैस त्रासदी के बाद) स्थापित **"पूर्ण उत्तरदायित्व"** सिद्धांत , खतरनाक उद्योगों को क्षति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानता है।
    - आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति देना इस कानूनी सिद्धांत का खंडन करता है और इसका बोझ करदाताओं पर डाल देता है।
- **भारतीय सरकार और करदाताओं पर वित्तीय बोझ:** यदि कोई परमाणु आपदा घटित होती है, तो संपूर्ण मुआवजा और सफाई लागत (संभावित रूप से लाखों करोड़ में) भारत सरकार पर पड़ेगी।
    - यह अनुचित है, क्योंकि विदेशी आपूर्तिकर्ता बिना किसी वित्तीय जिम्मेदारी के चले जाएंगे।

- **भविष्य में औद्योगिक दुर्घटनाओं के लिए खतरनाक मिसाल:** परमाणु आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति देने से अन्य खतरनाक उद्योगों (रासायनिक संयंत्र, तेल रिफाइनरियां, आदि) के लिए समान कानूनी प्रतिरक्षा की मांग करने की मिसाल कायम हो सकती है।
    - इससे सभी क्षेत्रों में कॉर्पोरेट जवाबदेही कमजोर होती है।
- **भारत के 2010 के परमाणु दायित्व कानून का खंडन:** परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (2010) यह सुनिश्चित करता है कि आपूर्तिकर्ताओं को दोषपूर्ण उपकरणों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
    - क्षतिपूर्ति से यह महत्वपूर्ण सुरक्षा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
- **लापरवाह व्यावसायिक व्यवहार को बढ़ावा:** जब आपूर्तिकर्ताओं को पता होता है कि उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, तो वे अधिकतम लाभ कमाने के लिए डिजाइन, सुरक्षा और विनिर्माण में कटौती कर सकते हैं।
    - जनरल इलेक्ट्रिक (जी.ई.) ने अपने मार्क 1 रिएक्टर डिजाइन के बारे में सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसके कारण फुकुशिमा आपदा हुई।

अमेरिकी रिएक्टरों (AP1000) की समस्याएं

- **अत्यधिक ऊंची लागत:** अमेरिका में AP1000 रिएक्टरों की लागत में 250% की वृद्धि हुई , तथा जॉर्जिया में दो रिएक्टरों की अंतिम कीमत 36.8 बिलियन डॉलर थी।
    - भारत में बिजली की कम दरों को देखते हुए, इतनी ऊंची लागत की भरपाई करना आर्थिक रूप से अव्यवहारिक होगा।
- **अधूरी और छोड़ी गई परियोजनाएं:** दक्षिण कैरोलिना में दो AP1000 रिएक्टरों को विलंब और डिजाइन दोषों के कारण 9 बिलियन डॉलर बर्बाद होने के बाद छोड़ दिया गया।
    - इससे भारत में ऐसे रिएक्टरों की व्यवहार्यता पर चिंता उत्पन्न होती है।
- **तकनीकी और सुरक्षा मुद्दे:** वेस्टिंगहाउस AP1000 डिजाइन को अमेरिका और चीन सहित कई देशों में विनियामक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
    - चीन में, पहले AP1000 रिएक्टरों को महत्वपूर्ण घटकों की विफलता के कारण बड़ी देरी का सामना करना पड़ा।
- **विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता:** भारत के पास एक मजबूत स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम (पीएचडब्ल्यूआर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) है।
    - AP1000 रिएक्टरों का आयात करने से भारत अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो जाएगा , जो भू-राजनीतिक तनावों के कारण सीमित हो सकती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के साथ प्रतिस्पर्धी नहीं:** AP1000 रिएक्टरों से प्रति यूनिट बिजली की लागत सौर, पवन और घरेलू परमाणु रिएक्टरों की तुलना में कई गुना अधिक है।
    - महंगे रिएक्टरों में निवेश करने से भारत को दशकों तक महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा।
- **भारत में कोई प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड नहीं:** भारत द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित किए गए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के विपरीत, AP1000 रिएक्टरों का भारत में कोई परिचालन इतिहास नहीं है।
    - इससे स्थानीय अनुकूलन, रखरखाव और दीर्घकालिक स्थिरता से संबंधित जोखिम बढ़ जाते हैं।

आगे की राह: भारत के परमाणु दायित्व ढांचे को मजबूत करना

- **देयता सीमा में वृद्धि:** वास्तविक विश्व आपदा लागत के अनुरूप मुआवजा सीमा को समायोजित करें, ताकि पीड़ितों को पर्याप्त राहत मिल सके।
- **सशक्त विनियामक निरीक्षण:** एक स्वतंत्र परमाणु सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जाए, जिसके पास प्रचालकों और आपूर्तिकर्ताओं दोनों पर प्रवर्तन शक्ति हो।

- **बीमा पूल में आपूर्तिकर्ताओं का अनिवार्य अंशदान:** परमाणु आपूर्तिकर्ताओं को देयता निधि में अंशदान करने की आवश्यकता होगी, जिससे साझा वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा।
- **परमाणु समझौतों में पारदर्शिता:** सरकारी निर्णयों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी परमाणु खरीद समझौतों का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाना चाहिए।
- **स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करना:** महंगे और जोखिम भरे विदेशी आयातों के बजाय भारत में विकसित रिएक्टरों (जैसे, PHWRs) में निवेश को प्राथमिकता देना।
- **नीति संशोधनों पर सार्वजनिक परामर्श:** दायित्व कानून में परिवर्तन करने से पहले, सुरक्षा, वित्तीय और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विचार करने के लिए सार्वजनिक चर्चा आयोजित करना।

स्रोत: **The Hindu: Nuclear energy — dangerous concessions on liability**

क्या भारत को WTO से हट जाना चाहिए?

संदर्भ

भारतीय किसानों के एक वर्ग की बार-बार मांग यह है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन (WTO) से बाहर निकल जाना चाहिए।

भारतीय किसान WTO से बाहर निकलने की मांग क्यों कर रहे हैं?

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सब्सिडी पर सीमाएं:** कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता (एओए) भारत में किसानों को मिलने वाले MSP और अन्य सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
    - 1986-88 के मूल्यों के आधार पर निर्धारित बाह्य संदर्भ मूल्य (ERP) - जो सब्सिडी के रूप में कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का केवल 10% है - में मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण भारत का MSP WTO की गणना में अत्यधिक प्रतीत होता है।
    - किसानों का मानना है कि ये प्रतिबंध MSP के लिए कानूनी गारंटी हासिल करने के उनके अधिकार में बाधा डालते हैं।
- **सस्ते आयात से खतरा:** विश्व व्यापार संगठन मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, जिसके कारण विकसित देशों से सस्ते कृषि उत्पादों का आयात बढ़ता है।
    - उदाहरण के लिए, भारत को न्यूजीलैंड से सस्ते डेयरी आयात और अर्जेंटीना से तिलहन का सामना करना पड़ता है , जिससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान होता है।
- **भारतीय निर्यात के लिए उचित बाजार पहुंच का अभाव:** विकसित देश गैर-टैरिफ बाधाएं (जैसे, सख्त गुणवत्ता मानक, स्वच्छता संबंधी उपाय) लगाते हैं, जो भारतीय कृषि निर्यात को प्रतिबंधित करते हैं।
    - ऐसे प्रतिबंधों के कारण भारत को चावल, गेहूं और डेयरी जैसे उत्पादों का निर्यात करने में कठिनाई होती है ।
- **विकसित देशों की अनुचित सब्सिडी:** अमेरिका और यूरोपीय संघ अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं (अमेरिकी कृषि सब्सिडी सालाना 100 बिलियन डॉलर से अधिक है)।
    - इससे उनके कृषि उत्पाद कृत्रिम रूप से सस्ते हो जाते हैं, जिससे भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है।
    - व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी सीमा के कारण भारत इन सब्सिडी स्तरों की बराबरी नहीं कर सकता ।
- **खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण पर प्रतिबंध:** भारत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए खाद्य भंडारण रखता है।
    - विश्व व्यापार संगठन के नियम एक निश्चित स्तर से अधिक खाद्य भंडारण को सीमित करते हैं, तथा इसे व्यापार विकृति कहते हैं।
    - इससे भारत के खाद्य सुरक्षा और बफर स्टॉक कार्यक्रमों के लिए चुनौतियां पैदा होती हैं।
- **"विशेष एवं विभेदक उपचार" (एस एंड डी टी) पर प्रगति का अभाव:** विश्व व्यापार संगठन ने विकासशील देशों के लिए विशेष उपचार का वादा किया, जिससे उन्हें किसानों की सुरक्षा करने की अनुमति मिल सके।
    - हालाँकि, विकसित देश इन सुधारों को अवरुद्ध करते हैं, जबकि अपने किसानों के लिए नीतिगत लचीलेपन का लाभ उठाते हैं।

विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलने के बजाय भारत क्या कर सकता है?

- **विश्व व्यापार संगठन के "शांति खंड" का प्रभावी ढंग से उपयोग करना:** शांति खंड भारत को कानूनी कार्रवाई से बचाता है, भले ही वह खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी सीमा को पार कर जाए।
    - स्थायी राहत के लिए बातचीत करते समय MSP प्रदान करने और खाद्यान्न का भंडार करने के लिए इस खंड का उपयोग जारी रखना चाहिए।

- **बाह्य संदर्भ मूल्य (ERP) में सुधार की वकालत:** भारत को ERP को पुराने 1986-88 के स्तर से वर्तमान मुद्रास्फीति-समायोजित मूल्यों तक अद्यतन करने पर जोर देना चाहिए।
    - इससे भारत का MSP विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत अधिक न्यायोचित हो जाएगा।
- **गैर-व्यापार-विकृत समर्थन में वृद्धि:** केवल MSP पर निर्भर रहने के बजाय, भारत PM-KISAN जैसी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाओं का विस्तार कर सकता है, जो WTO के अनुरूप हैं।
    - अन्य निवेश-आधारित प्रोत्साहनों (जैसे, सिंचाई बुनियादी ढांचे, फसल बीमा) को भी WTO नियमों का उल्लंघन किए बिना मजबूत किया जा सकता है।
- **आयात पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को मजबूत करना:** भारत को घरेलू किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले अत्यधिक कृषि आयात पर अंकुश लगाने के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों का रणनीतिक रूप से उपयोग करना चाहिए।
    - स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपायों का उपयोग उच्च गुणवत्ता मानक निर्धारित करने तथा अनुचित आयात को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है।
- **द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौते सुरक्षित करना:** भारत को विश्व व्यापार संगठन के नेतृत्व वाले वैश्विक व्यापार नियमों पर निर्भरता कम करने के लिए अधिक निष्पक्ष मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत करनी चाहिए ।
    - उदाहरण के लिए , भारत-यूएई सीईपीए (व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता) भारतीय कृषि वस्तुओं के लिए बेहतर निर्यात अवसर सुनिश्चित करता है।
- **WTO वार्ता को छोड़ने की बजाय मजबूत करना:** भारत को अधिक न्यायसंगत कृषि व्यापार नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए।
    - बाहर निकलने के बजाय बहुपक्षवाद को मजबूत करने से भारत को वैश्विक व्यापार नियमों को अपने पक्ष में आकार देने में मदद मिलेगी।

स्रोत: **Indian Express: Don’t Go it Alone**